न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 56/2017

1– मगना पुत्र पांचू उम्र बालिग
2– बरजी पुत्री पांचू उम्र बालिग
3– कमला पुत्री पांचू उम्र बालिग
4– भालू पुत्र गणेश उम्र बालिग
5– मगनी पुत्री गणेश उम्र बालिग
6– नानी पुत्री गणेश उम्र बालिग समस्त जाति गुर्जर निवासियान ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज.

––––––वादीगण

ब ना म

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, विजयनगर।

–––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय दिनांक

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी के खसरा नंबर 160/1858 रकबा 02–02–00 बीघा भूमि वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आरायिजात संवत 2041 में राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो राजस्थान सरकार द्धारा उक्त आराजियात में जरिए नामान्तकरण संख्या 09 दिनांक 12.07.84 में खसरा न. 160 रकबा 02–02–00 बीघा पर पांचू वल्द चन्द्रा मु. किशनी बेवा गणेश के नाम गैर खातेदार भूदान होल्डर अलोट की थी जो वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण बतौर भूदान होल्डर के रूप में दर्ज हुई थी। राजस्थान सरकार द्धारा नामान्तकरण संख्या 1657 दिनांक 14.12.2010 के द्धारा भूदान होल्डर को विलोपित किया गया था। उक्त आराजियात वादीगण के पिता के वक्त अलोटमेंट के वक्त से ही कब्जा चला आ रहा है, तभी से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण पिछले 33 साल से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक व बाधा के काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के सुखाधिकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है। जिससे वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कराने का एक मात्र अधिकारी है। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को गलत इन्द्राजों के आधार पर खुर्द बुर्द कर देगा और कई लोगो के नाजायज कब्जा करा देगा। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारीत की जाकर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जो वादीगण के उक्त आरायिजात में गैर खातेदार लिखा है, उससे हटाकर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल नही करे तथा हस्तांतरित परिवर्तित आदि नही करे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं कर निवेदन किया कि विवादित भूमियां वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा कमाण्ड ऐरिया में होने से खातेदारी नही दी जा सकती है। अतः वाद खारीज किया जावे।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण द्धारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनसुार विवादित भूमियां वादीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। उनके पूर्वज के स्वर्गवास के बाद वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमाण्ड ऐरिया में विवादित भूमियां होने के कारण उन्हें खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायचित प्रतित नही होता है, अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्धारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/6/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: